26/5/25

पत्रा. पेश हुई। वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र 151 भा.द.सं. बाबत दाखिल खारिज खोले जाने की अनुमति प्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि विवादित आराजी को प्रार्थी द्वारा जरिये रजि. बयनामा दिनांक 23/8/24 को क्रय किया गया था। उक्त विवादित आराजी की खरीद प्रार्थी द्वारा दावा पेश करने से पूर्व ही की जा चुकी है तथा प्रार्थी को दावा पेश करते समय भी मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया था परन्तु प्रार्थी द्वारा पेश प्रा.पत्र 01 R10 व धारा 151 भा.द.सं. के निर्णयानुसार [illegible] एवं [illegible] को मुकदमा पक्षकार बनाया गया था। अतः प्रार्थी वर्तमान में विवादित [illegible] विवादित आराजी ख.नं. 757 बाबत नकल [illegible] आदेश होने के कारण प्रार्थी द्वारा [illegible] दिनांक 23/[illegible] का नामान्तरकरण स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के हक में नहीं करवा पा रहा है। जिस कारण प्रार्थी को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि विवादित आराजी ख.नं. 757 वार्ड नम्बर प्रथम जिस बाबत प्रार्थी ने उप की है उसने दिनांक 3/8/21 को एक सहमति पत्र एक आशय का जारी किया कि उक्त खाता नंबर में प्रेमचंद का जो हिस्सा शेष रहता है उसे वह स्वेच्छा से धर्मी व कलुआ के वारिसान को देगा। यह सहमति पत्र नोटेरी भी वादी अधिवक्ता द्वारा किया गया। वादी का दावा धारा 53 रा.का. अधि. का है और प्रार्थी 01/2/10 के निर्णयानुसार पक्षकार मुकदमा बनाये जा चुके हैं तो इनको बंटवारे में हिस्सा मिल ही जायेगा अतः प्रा.पत्र 151 जा.दी. के तहत दाखिल खारिज की अनुमति प्रदान नहीं की जावे।

हमने उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ज्ञानसिंह पुत्र कमलसिंह को 01/2/10 के निर्णयानुसार मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। चूंकि प्रार्थी को मुकदमा पक्षकार बनाया गया है क्योंकि प्रार्थी ने जरिये रजि. बयनामा उक्त विवादित आराजी को क्रय किया है तथा अप्रार्थी/वादी द्वारा रजि. बयनामा को भी कहीं चैलेंज नहीं किया गया है। जो सहमति पत्र विक्रेता द्वारा दिनांक 3/8/21 को लिखा गया है उसके आधार पर विवादित आराजी का दाखिल खारिज प्रार्थी के हक में नहीं किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी/वादी उक्त सहमति पत्रानुसार पालना नहीं होने की स्थिति में सिविल न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि प्रार्थी एक हितबद्ध पक्षकार है एवं रजि. बयनामा के आधार पर खातेदार [illegible] है। दाखिल खारिज नहीं खुलने की [illegible] का हकदार खातेदारी अधिकारों एवं [illegible] कृषि [illegible] योजनाओं से वंचित रहेगा जो कि [illegible] विपरीत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 757 वार्ड नम्बर प्रथम पर प्रार्थी ज्ञानसिंह पुत्र कमलसिंह के नाम दाखिल खारिज खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तत्पश्चात् प्रार्थी पप्पू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O26 R9 व O39 R7 व धारा 151 CPC पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि दिनांक 3/8/21 के सहमति पत्र में प्रेमचंद द्वारा विवादित खसरा नं. 757 वार्ड नदबई प्रथम बाबत सहमति प्रदान की गई जबकि उक्त खसरा नंबर पर उसका कोई कब्जा नहीं है। दिनांक 3/8/21 से ही वादी का कब्जा है अतः तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि दावा विभाजन का है। कुरे रिपोर्ट में मौका रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं रहती अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने उभयपक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि दावा विवादित आराजी के विभाजन हेतु पेश किया गया है एवं विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर उभयपक्षकारों की उपस्थिति में ही तैयार की जाती है। कुरे रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा कब्जा एवं वाईमीट्रम एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार की जाती है अतः कब्जा इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तत्समय ही प्रेषित कर दी जायेगी। वर्तमान में विवादित आराजी के संबंध में कब्जे की रिपोर्ट/मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र O26 R9 एवं O39 R7 व धारा 151 CPC खारिज किया जाता है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:07:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner